तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/7/21	राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 230/2019 अनवान सरकार बनाम माधाराम वगैराह अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 प्रार्थी जरिये तहसीलदार लूणी ने रिपोर्ट पत्रांक भू0अ0 /डीआईएलआरएमपी/2019/3465 दिनांक 22.11.2019 के दवारा तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश कर ग्राम धुन्धाडा के खसरा नम्बर 428, 435, 471, एवं 472/1 कुल रकबा 153.9 बीघा वर्तमान जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 में खाते का हिस्सा एक नहीं हो रहा है। मिसल बंदोबस्त में नारिंग वल्द रामा 1/32 हिस्सा दर्ज था अगली जमाबंदी बनाते समय लिपिकिय त्रुटि से दर्ज होने से शेष रह गया। जिससे वर्तमान जमांबदी में सेग्रीगेशन करने पर सम्पूर्ण खाते का योग एक नहीं हो रहा है। अतः वर्तमान में अन्य खातेदारो के साथ नारिग वल्द रामा 1/32 हिस्सा दर्ज कराने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया नियमानुसार तामिली प्राप्त हुई जो शामिल मिसल है। अप्रार्थीगण भगवानराम, नत्थाराम , वक्ताराम , पोलाराम, पीराराम , वागाराम, सीता देवी, वीरी देवी व सूजाराम ने उपस्थित होकर प्रकरण में आवश्यक दुरुस्ती हेतु अपनी सहमति जाहिर की। यह प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकार योग्य प्रतीत होने पर स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि माफिक रिपोर्ट पत्रांक भू0अ0 /डीआईएलआरएमपी/2019/3465 दिनांक 22.11.2019 के अनुसार ग्राम धुन्धाडा के खसरा नम्बर 428, 435, 471, एवं 472/1 कुल रकबा 153.9 बीघा में पूर्ण जांच कर प्रस्ताव अनुसार रेकर्ड दुरुस्ती करे तथा शेष खाता यथावत रहेगा। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फेसल शुमार होकर दफतर दाखिल हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	